अप्रार्थीपक्ष ने जिस परिपत्र क्रमांक प. 3(02) राज. 6/2023 का सन्दर्भ दिया है। उक्त परिपत्र के प्रावधान भी उक्त प्रकरण में लागू नही होते। यह भी विदित रहे कि उक्त परिपत्र में जो निर्देश जारी किये है। उसकी कार्यवाही अधिकतम माह अक्टुबर 2016 तक ही पूर्ण की जानी थी। इन सब स्थितियों के कारण उक्त बताया गया परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के प्रावधान अप्रार्थी ने गलत रूप से बताकर उक्त दिनांक 18.04.2017 का निर्णय व आदेश प्राप्त किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.04.2017 की प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई अपील किसी न्यायालय में पेश नही की गई है। वर्तमान तक केवल यह पुनर्विलोकन याचिका ही पेश है जो स्वीकार किये जाने योग्य है। दिनांक 18.04.2017 में बताये गये आदेश की किसी प्रकार की कोई अनुपालना भी नही हुई है, बताया गया नया रास्ता मौका पर अवस्थित नही है।

अतः पुनर्विलोकन याचिका पेश कर निवेदन है कि उक्त याचिका में बताये गये आधारो तथा विधि के प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण की उक्त याचिका स्वीकार करने तथा उपरोक्त बताये गये आदेश प्रकारण सं0 100/2017 तहसीलदार डीडवाना बनाम मोतीराम व अन्य अन्तर्गत धारा 131, 132, L.R.Act आदेश दिनांक 18.04.2017 को पूर्णतः अपास्त करने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रतिवादी ने मियाद अधिनियम अर्न्तगत धारा 05 का प्रार्थना पत्र पेश किया।

बहस सुनी गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम खरेश, पटवार हल्का खरेश के पुराना खसरा सं0 480 जिसके नये खसरा सं0 1103/915 रकबा 0.0252 हैक्टे0, खसरा सं0 915 रकबा 3.5148 हैक्टे0 कुल रकबा 3.5400 हैक्टे0 यानि 21 बीघा 17 बिस्वा की भूमि में गुण, अवगुण के आधार पर निर्णय पारित करावें।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया।

प्रकरण सं0 100/2017 तहसीलदार डीडवाना बनाम मोतीराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2017 के पुनर्विलोकन करने बाबत यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना–पत्र में निर्णय के पुनः अवलोकन का आधार यह बताया गया है कि खसरा सं0 1103/915 व 915 सरहद खरेश के किसी भी भाग में रास्ता नही रहा है। प्रार्थीगण को बिना सूचना दिए तहसीलदार की मौका रिर्पोट पर रास्ता कायम किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रकरण में पारित निर्णय का पुनः अवलोकन कर प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार प्रार्थी प्रकरण सं0 100/2017 तहसीलदा डीडवाना बनाम मेतीराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2017 को पुनः अवलोकन कर निर्णय निरस्त कराने की इस्तदुआ कर रहा है। पुनर्विलोकन का सिमित स्कोप होता है। निर्णय के वक्त कोई साक्ष्य न्यायालय के पढने से रह जाता है तथा उसके पढने से निर्णय प्रभावित हो सकता हो तो वहां पर पुनर्विलोकन याचिका पोषणीय होती है। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नही हुआ है। नए सिरे से दस्तावेज पेश कर अथवा रिर्पोट पेश कर निर्णय को रिव्यु नही किया जा सकता है। प्रार्थी उठाए गए एतराज/आपत्तियां अपीलीय अदालत के विचारणीय बिन्दु है। पुनर्विलोकन याचिका के आधार पर प्रार्थी किसी प्रकार की रिलिफ प्राप्त नही कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

–:: आदेश ::–

प्रकरण सं0 100/2017 तहसीलदार डीडवाना बनाम मोतीराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2017 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका खारिज की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **27.11.2024** को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.06.04 11:43:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner